



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23072024-255650
CG-MH-E-23072024-255650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2759]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2024/आषाढ 31, 1946

No. 2759]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2024/ASHADHA 31, 1946

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 22 जुलाई, 2024

का.आ. 2896(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20 का के उप खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम गुणावद तहसील धार जिला धार की यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाब्ध अनुसूची में दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में इंदौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाइन हेतु विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एसी भूमि के अर्जन करने के घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा(1)के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), भू अर्जन अधिकारी तहसील धार जिला धार को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टिशनर (अधिवक्ता) के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और

जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिए अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्योरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में इंदौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाइन, विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम :- धार (म.प्र.)

क्र	जिला	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या खसरा न.	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टेर
1	धार	धार	गुणावद	558/1	सिंचित	0.421
				कुल		0.421

[ई.ऑफिस फा. सं. E-514544-25]

धीरज कुमार, मुख्य अभियन्ता निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS

[WESTERN RAILWAY (CONSTRUCTION ORGANIZATION)]

NOTIFICATION

Mumbai, 22nd July,, 2024

S.O. 2896(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(i) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, this land of **Village- Gunawad Tehsil-Dhar District-Dhar**, the brief description of which has given in the schedule annexed here to, is required for execution of Special Railway Project for Indore- Dahod new BG railway line in Dhar district of Madhya Pradesh state. Declares its intention to acquire such land.in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub-Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Tehsil- **Dhar** District- **Dhar**, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, Indore – Dahod New Railway Line Project in the state of Madhya Pradesh.

District: Indore, tehsil –Dhar (M .P.) Gunawad village

S. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Survey Number	Nature of Land	Land to be Acquired Area in hect.
1	Dhar	Dhar	Gunawad	558/1	Irrigated	0.421
				Total		0.421

[F. No. E. - Office (E-514544-25]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer Construction-IV